2026:CGHC:15008

2026:CGHC:15008

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक–318/2026

- चंद्रकुमार लोधी, पिता–सालिकराम लोधी, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी–चक्रवाय, पोस्ट–मारो, पुलिस थाना व तहसील–नांदघाट, जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़

–––––पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त

विरूद्ध

- वक्रांगी ब्रिक्स, प्रोपराईटर श्रीमती उषा देवी शर्मा पति–अम्बालाल शर्मा, निवासी वार्ड संख्या–01, पिकरी, बेमेतरा, पुलिस थाना, तहसील व जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़

–––––प्रत्यर्थी/परिवादी

पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त द्वारा	:	श्री राजकुमार पाली, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा	:	सूचना तामिल पश्चात कोई उपस्थित नहीं ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

01/04/2026

1. प्रारंभिक तर्क सुने गए ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438/442 के अंतर्गत प्रस्तुत इस दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन में, न्यायालय–द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला

बेमेतरा (छत्तीसगढ़) द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 76/2025, "वक्रांगी ब्रिक्स प्रोपराईटर श्रीमती उषा देवी शर्मा **विरुद्ध** चंद्रकुमार लोधी" में पारित आदेश दिनांक 29/01/2026 को चुनौती दी गई है ।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा द्वारा दिनांक 08/11/2021 को परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज कर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । उक्त आदेश के विरुद्ध परिवादी द्वारा दोषमुक्ति अपील क्रमांक 938/2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 01/08/2025 को पारित आदेश द्वारा, न्यायदृष्टांत **M/s Celestium Financial v. A. Gnanasekaran (2025 INSC 804)** के प्रकाश में, सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए निराकृत किया गया । तत्पश्चात परिवादी द्वारा सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/01/2026 को पारित प्रश्नाधीन आदेश के माध्यम से अपील स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 08/11/2021 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रेषित करते हुए यह निर्देश दिया गया कि परिवाद का विधिवत एवं शीघ्रतापूर्वक निराकरण 04 माह में सुनिश्चित किया जाए ।

4. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश की कण्डिका–10 में उल्लिखित कारणों के आधार पर अपील स्वीकार करना तथा परिवाद को विधिवत निराकरण हेतु निर्देशित करना विधिसम्मत नहीं है । यह भी तर्क किया गया कि परिवादी का परिवाद अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाना

उचित था । अतः अपीलीय न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश को अपास्त किया जाना अपेक्षित है ।

5. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने यह पाया कि कोरोना संक्रमण अवधि के दौरान परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद खारिज किया गया था तथा प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण नहीं हुआ था । इस परिस्थिति में न्यायहित में प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक एवं उचित माना गया ।

6. समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलीय न्यायालय के "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती । इसलिए प्रश्नाधीन आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती । अतः यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर **खारिज** की जाती है ।

7. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

8. उपरोक्तानुसार, इस पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाता है ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन